कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, सिरोही

कार्यालय–आदेश

राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधिनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के अन्तर्गत श्रीमान निदेशक, मा.शि.राज.बीकानेर के आदेश कमांक शिविरा/माध्य/साप्र/बी–1/कनिष्ठ सहायक2018/प्रतिक्षा सूची/2021 दिनांक 24.06.2021 में प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में कनिष्ठ सहायक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018 में मुख्य सूची में कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध **गैर अनुसूचित क्षेत्र** से चयनित किये गये 358 अभ्यर्थियों में से सिरोही जिले को आवंटित 12 अभ्यर्थियों को जिला स्तर पर काउंसलिंग के माध्यम से विद्यालय का चयन किये जाने एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विभाग स्तर पर संलग्न सूची अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में **कनिष्ठ सहायक** के रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसार वेतन **पे मेट्रिक्स के लेवल–05** में **प्रोबेशनर ट्रेनी** (परीविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में **02 वर्ष की अवधि** के लिए नियमानुसार देय नियम मानदेय **14600/– (अक्षरे रूपये चौदह हजार छःसौ)** प्रतिमाह अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विकल्प प्रस्तुत करने पर विद्यमान वेतन पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार के पत्र कमांकः प.8(1)कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.03.2006 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनांतर्गत होगी एवं वित्त विभाग के आदेश एफ.15 (1) एफडी/रूल्स/2017/जयपुर दिनांक 30.10.2017 के रूल्स 16 के तहत **नियुक्ति तिथि से नियमानुसार पेंशन अंशदान कटौती होगी।**

सम्बंधित संस्था प्रधान को इनको कार्यग्रहण करवानें से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगें:–

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवानें से पूर्व नियमानुसार सम्बंधित अभ्यर्थी का सम्बंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बंधी सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त कर ही कार्यग्रहण करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवानें से पूर्व सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावें । पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
3. इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक (कम्प्यूटर संबंधी) आयु, जाति, आरक्षण सम्बंधी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखेंगें, कोई भिन्नता/संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को सूचित करते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त करने के उपरांत ही कार्यग्रहण करवायेंगे।
4. अभ्यर्थी के विवाह संबंधी शपथ पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यग्रहण करवाया जावे। अभ्यर्थी के नाम उपनाम में भिन्नता होने पर शपथ पत्र प्राप्त किया जावे कि यदि अभ्यर्थी के नाम/उपनाम में भिन्न्ता संबंधी भविष्य में कोई विवाद होता है तो अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार रहेगा व उसकी नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
5. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवानें से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना कमांकः एफ.7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08-04-2003 के अनुसार सम्बंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01-06-2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें ।
6. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता की वैद्यता सम्बंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से

.....2/....

PSB

प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य पाए जाने के अध्ययधीन प्रदान की जा रही हैं। नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवानें से पूर्व सम्बंधित अभ्यर्थियों से नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेंगें।

7. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से संलग्न प्रारूप में यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐं एवं दस्तावेज सही है, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
8. अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार प्रमाण पत्र जो विवाह के पश्चात का बना हुआ है प्रस्तुत करे, तो ही मान्य होगा। ऐसा नही करने पर अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाया जाए एवं इसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय को दी जाए।
9. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक प. 7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबंधता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
10. देहेज प्रतिषेघ अधिनियम 2004 के अन्तर्गत नवनियुक्त कार्मिक से दहेज न लेने संबंधी निर्धारित भाषा में घोषणा पत्र प्राप्त कर कार्यग्रहण करवाया जावे।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक **08-07-2021** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा । उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाऐं सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

(गंगा कलावन्त)
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, सिरोही

कमांकः जिशिअ/मा/सि/स्थापन–2/2021/216 दिनांक **28-06-2021**

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सविच, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. शासन उप.सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
6. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग, पाली
7. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी..........................
8. सम्बंधित कार्यालयाध्यक्ष/संस्था प्रधान, कार्यालय/राउमावि/रामावि/ बालिका.....................
9. सम्बंधित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा)
10. विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
11. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा
12. रक्षित पत्रावली ।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, सिरोही

PSB

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, सिरोही

क्रमांकः जिशिअ / मा / सि / स्थापन–2 / 2021 / 216 दिनांक 28.06.2021

कनिष्ठ सहायक (नॉन टीएसपी क्षेत्र) जिला सिरोही

S.No.	Merit_No	Roll Number	Name	Father Name	GENDER	BIRTHDATE	APPLIED CATEGORY	Posting Place	Block	Photo
1	10922	1445518	MEGHNA RATHORE	RAJENDRA SINGH RATHORE	F	08-10-1996	GEN	राउमावि जनापुर	पिण्डवाडा	
2	10930	2106151	POOJA	HARI SHANKAR	F	24-08-1995	GEN	राउमावि रोवाडा	शिवगंज	
3	11517	2252131	SHAILJA	PARVEEN KUMAR	F	24-01-1997	GEN	राउमावि रोहिडा	पिण्डवाडा	
4	11541	1245545	DEEPIKA SHARMA	KAILASH CHANDER SHARMA	F	12-05-1983	GEN	राबाउमावि रेवदर	रेवदर	
5	4639	2163089	SANDEEP KUMAR SHARMA	HUKMI CHAND SHARMA	M	10-06-1987	GEN	राउमावि सेलवाडा	रेवदर	

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, सिरोही

क्रमांकः जिशिअ/मा/सि/स्थापन–2/2021/216 दिनांक 28.06.2021

कनिष्ठ सहायक (नॉन टीएसपी क्षेत्र) जिला सिरोही

S.No.	Merit_No	Roll Number	Name	Father Name	GENDER	BIRTHDATE	APPLIED CATEGORY	Posting Place	Block	Photo
6	5503	1843288	RAKESH KUMAR SINGH	DINA NATH SINGH	M	02-04-1984	GEN	राउमावि सनपुर	सिरोही	
7	5505	2025032	PRASHANT GARG	MAHESH KUMAR GARG	M	28-11-1996	GEN	रामावि मालीपुरा	रेवदर	
8	5554	1210862	AKSHAY SHARMA	SUSHIL KUMAR SHARMA	M	17-12-1992	GEN	राउमावि वरमाण	रेवदर	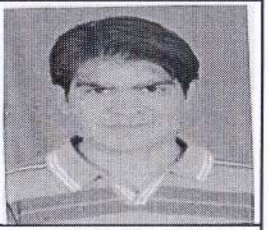
9	5576	1519598	MINTU SHARMA	SUDESH SHARMA	M	22-04-1994	GEN	रामावि काकेन्द्रा	सिरोही	
10	5632	1937841	NARENDRA SINGH	BRIJ MOHAN	M	01-10-1994	GEN	राबाउमावि सिलदर	सिरोही	

<u>कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, सिरोही</u>

क्रमांकः जिशिअ/मा/सि/स्थापन–2/2021/216 दिनांक 28.06.2021

कनिष्ठ सहायक (नॉन टीएसपी क्षेत्र) जिला सिरोही

S.No.	Merit_No	Roll Number	Name	Father Name	GENDER	BIRTHDATE	APPLIED CATEGORY	Posting Place	Block	Photo
11	7137	2449098	SUNIL	POONA RAM	M	16-01-1995	OBC	राउमावि कलदरी	शिवगंज	
12	7143	1114357	ANIL KUMAR	HET RAM CHABARWAL	M	20-09-1996	OBC	राउमावि मनादर	शिवगंज	

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, सिरोही